न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—410/2016/223 (2016/00410)

1. श्री सीमेन्ट. लिमिटेड अंधेरी देवरी वाया ब्यावर, तहसील मसूदा, जिला अजमेर जरिये मुख्तयारआम के0के0शर्मा पुत्र स्व0 जय सीताराम शर्मा, सीनियर मैनेजर (लीगल) ब्यावर जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. डूंगा उर्फ पांचा पुत्र पन्ना, जाति रावत, निवासी कॉकर का बाडिया बलाड तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. कालू पुत्र मल्ला,
3. नाथू पुत्र अहमद,
4. धूलसिंह पुत्र कालूसिंह,
5. लाडूसिंह पुत्र कालूसिंह,
6. लालसिंह पुत्र कालूसिंह,
7. रामेश्वरसिंह पुत्र नाथूसिंह,
8. धनेश सिंह पुत्र नाथू सिंह,
9. गोविन्द सिंह पुत्र नाथू सिंह,
10. गोपाल सिंह पुत्र नाथूसिंह,
11. श्रीमती सोनी बेवा मोहन उर्फ सोहन (फौत—नाम तर्क)
12. श्रीमती भंवरी पुत्री मोहन उर्फ सोहन,
    समस्त जाति रावत, निवासी कॉकर बाडिया बलाड़, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
13. राजस्थान सरकार ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर, दिनांक 4.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 125/2014.

उपस्थितः—

1. श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री ज्ञानचन्द गदिया, वकील रेस्पो0 संख्या 3, 7 से 10 व 12.
3. रेस्पो0 संख्या 2, 4 से 6 अनुपस्थित ।
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 13.

निर्णय

दिनांकः— 30.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट के पेश कर कथन किया कि ग्राम बलाड तहसील ब्यावर में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 2286 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा

भूमि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा निहित है जिसका विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है । वादी व प्रतिवादीगण अपने मन मुताबिक काश्त करते चले आ रहे है । प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से से अधिक भूमि पर सभी अन्य खातेदारों को डरा धमका कर काश्त कर रहा है व वादी व सहखातेदारों के मध्य कमती–बती को लेकर हमेशा आपस में विवाद होते रहते है । वादी अपने हिस्से में आयी भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाना चाहता है । वादी ने प्रशासन गांव के संग कैम्प बलाड में सभी खातेदारों को भूमि का विधिवत् विभाजन करवाने का निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण ने भूमि का बंटवारा करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया। इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार कर वाद में वर्णितानुसार विभाजन की डिक्री पारित की जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 4.6.2016 को पारित कर पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद की पत्रावली तनकीयात कायम हेतु नियत थी । दिनांक 4.6.2016 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बलाड में नियत किया जिसकी सूचना अपीलांट को नहीं दी गई । अपीलांट का प्रतिनिधि दिनांक 4.6.2016 को राजस्व लोक अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं था । जब अपीलांट का प्रतिनिधि अभिभाषक कैम्प कोर्ट में उपस्थित नहीं था तो उनके द्वारा पीठासीन अधिकारी के समक्ष किसी प्रकार की सहमति दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने दोनों पक्षों को समझाने का तथ्य दर्शाते हुए एवं उनकी सहमति दर्शाते हुए वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है । राजस्व लोक अदालत में उभयपक्षों के हस्ताक्षर आदेशिका पर लिये जाकर ही सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है जबकि उपरोक्त प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा राजीनामे से न तो प्रकरण को लोक अदालत में रखवाया गया था ना ही लोक अदालत के समक्ष उन्होंने किसी प्रकार का राजीनामा ही पेश कर वाद का निस्तारण करने में अपनी सहमति प्रदान की थी । अधी0न्याया0 को वाद में तनकियात कायम करने के उपरांत पक्षकारान की साक्ष्य लेकर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 के समक्ष समस्त प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं थे । बहस में यह भी निवेदन किया कि विवादित भूमि का सहखातेदारों के मध्य वर्षो पूर्व बंटवारा मौके पर हो रखा है उसी अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है ।अपीलांट कम्पनी ने अपने हिस्से में आयी भूमि पर बड़ी धनराशि खर्च कर कीमती व उन्नत बना रखा है । अपीलांट के हिस्से में आयी भूमि पर पक्का बड़ा कुंआ मौजूद है जिसका राजस्व रिकार्ड में इंद्राज नही है किन्तु कुंए का वर्षो से रख रखाव आदि केवल मात्र अपीलांट द्वारा निजी धनराशि से किया जाता है एवं उपयोग भी अपीलांट द्वारा ही किया जाता है । वादी ने समस्त तथ्य छिपाते हुए वाद पेश कर डिक्री करवाया है । अधी0न्याया0 ने विधिक प्रकिया के विपरीत वाद को निर्णित करने में त्रुटि कारित की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे तथा वादी के वाद को गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 3, 7 से 10 व 12 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजी अविभाजित होकर सहखातेदारी की आराजियात है जिसमें समस्त पक्षकारान का प्रत्येक इंच पर बराबर–बराबर हक व अधिकार है । संयुक्त खातेदारी की आराजियात में किसी पक्षकार को विशेष भू–भाग प्राप्त नहीं हो सकता है । विद्वान अधी0न्यांया0 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत् निर्णय है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 के अनुसार खाता संख्या 123 के खसरा संख्या 2286 रकबा 2–14–04 भूमि के वादी डूंगा पुत्र पन्ना 1/4 हिस्सा, प्रतिबादी संख्या 1 कालू पुत्र मल्ला, प्रतिवादी संख्या 2 नाथू पुत्र अहमद हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 5 धूलसिंह, लाडूसिंह, लालसिंह पि0 कालू हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 9 रामेश्वरसिंह, धनेशसिंह, गोविन्दसिंह, गोपालसिंह पि0 नाथूसिंह हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 10 व 11 मु0 सोनी बेवा मोहन उर्फ सोहन, भंवरी पुत्री मोहन उर्फ सोहन हिस्सा 1/8 एवं प्रतिवादी संख्या 12 श्री सीमेंट लिमि0 हिस्सा 1/8 दर्ज है । अधी0न्याया0 ने राजस्व जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा की प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है । अपीलांटस का अपील में मुख्य आधार यह है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व में मौखिक विभाजन होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है तथा अपीलांट ने अपने हिस्से में आई आराजियात पर बने कुएं का वर्षो से रख रखाव करा कर कुएं के पानी का उपयोग केवल मात्र अपीलांट कंपनी द्वारा किया जा रहा है । अधी0न्याया0 द्वारा बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जिसमें पक्षकारों के हिस्से निर्धारित किये गये है । प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय तथा अंतिम डिक्री पारित करते समय अपीलांट अपना उक्त ऐतराज अधी0न्याया0 के समक्ष पेश कर सकते है । अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील पेश की है जिसमें कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि उसके हिस्से में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से से भूमि कम रखी गई है अथवा अन्य पक्षकार के हिस्से में अधिक भूमि रखी गई हो । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से प्राथमिक डिक्री में क्या त्रुटि रही है साबित करने में असफल रहे है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 4.6.2016 यथावत् रखी जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर